न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बिरौल दरभंगा

रेणु देवी

वनाम

अनावाद बिहार सरकार एवं महेन्द्र सदा वगै0

वाद संख्या–24 / 2013–14 एवं 74 / 13–14

वाद का प्रकार–अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

26.12.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है। वादी के द्वारा जिला जनता दरवार में दिये आवेदन के आलोक में वाद संख्या–74 / 13–14 भी इस वाद के साथ संलग्न किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा गोलमा

खाता	खेसरा	रकवा	चोहद्दी
		11	
9	260	कट्ठा	उ0–हेरेराम प्र0 सिंह
169	263	4 धुर	द0–वालचन
			पु0–किशोर प्र0 सिंह
			प0–गंगेश प्र0 सिंह

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि वाद पत्र की जमीन वादिनी को केवाला के द्वारा प्राप्त है तथा राजस्व भी अदाय करते है तथा शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है। नया खतियान सर्वे आमला के भूल के कारण अनावाद सर्व साधारण बन गया है

जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर प्रतिवादी द्वितीय पक्ष वादी के जमीन पर लगे फसल को लुटना चाहते है जो इस दावा पत्र को दाखिल करने का आधार है।

वहीं अंचलाधिकारी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पुर्व में नदी थी, भरैन होकर भीठ हो गया एवं उसे भूमिहीनो/महादलितो को बन्दोबस्ती अभिलेख सं0–5/2009–10 के द्वारा आवंटित की गई है इस संदर्भ में ज्ञात हो कि प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के ज्ञापांक 671 दिनांक 21.10.2009 एवं जिला पदाधिकारी दरभंगा के ज्ञापांक 9014 दिनांक 23.10.2009 के आलोक में महादलित परिवारो को गृहस्थल योजना अन्तर्गत प्रति परिवार 03 डि0 अधिसीमा संबंधित राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी से ट्रेश नक्शा के साथ स्थानीय सर्वेक्षण कर भू आवंटन का प्रस्ताव तैयार किया गया एवं वित्तरण किया गया छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत स्थल पर महादलित परिवारो जिनको भूबन्दोबस्त किया गया है का दखल कब्जा वो झोपड़ी वो अधिपत्य कायम है एवं वादी इर्द गिर्द में भी नही है और न ही उन्हे सम्बद्धता है। अन्य प्रतिवादी लाभूक महादलित परिवार है वादी के नाम तथा कथित जमाबंदी वो लगान रसीद को विधानुसार निरस्त करने की प्रवृत किया गया है।

दुसरी तरफ विपक्षीगण 2 से 5 तक का संक्षेप में कहना है कि प्रतिवादीगण को पुर्वजो के समय से ही प्रश्नगत जमीन पर शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है जिससे वादी को कोई एलाका वो सरोकार नही है चूकि विवादी भूमि पर प्रतिवादीगण महादलित का आवासीय मकानमय सहन के शांतिपुर्ण चला आ रहा है जहॉ तक एक ओर सरकार द्वारा महादलित को भूमि उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसे वादी अवैध केवाला एवं फर्जी कागजात के आधार पर वेदखल एवं वेघर करने हेतु उक्त वाद पत्र दायर किये है। हाल खतियान भी अनावाद सर्व साधारण दर्ज है जो सरकारी भूमि का होना दर्शाता है एवं पर्चा की सम्पुष्टि की जाती है।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो का अवलोकन किया। वादिनी द्वारा प्रश्नगत भूमि पुराना खेसरा संख्या 260 एवं 263 पर निबंधित केवाला के आधार पर दावा किया गया है। वादिनी द्वारा साक्ष्य स्वरूप उनके ससुर के नाम प्राप्त केवाला की प्रति संलग्न की गई है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष अंचलाधिकारी कु0 स्थान पुर्वी द्वारा वाद संख्या–22/13–14 में संलग्न पर्चा आवंटन

संबंधी अभिलेख एवं पत्रांक 703 दिनांक 23.12.13 के माध्यम से दिए गये नए पुराने नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नदी के कारण नया खेसरा 521 अनावाद बिहार सरकार बना है जो बहुत सारे पुराना खेसरा से बना है परंतु प्रश्नगत खेसरा उसमें सम्मलित नही है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष प्रश्नगत भूमि उनको बन्दोबस्ती पर्चा प्राप्त होने की बात कहते है परंतु इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अंचलाधिकारी कु0 स्थान पुर्वी द्वारा पत्रांक 703 दिनांक 23.12.13 के माध्यम से दिये गये जानकारी के अनुसार भूमिहीनो को नया खेसरा 521 के कुल रकवा 37 एकड़ में से 2 एकड़ 40 डि0 पर 80 भूमिहीनो को आवंटित भूमि का पुराना खेसरा 283, 371, 447, 459, एवं 460 है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगणो को प्रश्नगत भूमि पुराना खेसरा 260 एवं 263 पर बन्दोबस्ती पर्चा निर्गत नही है। अतः प्रश्नगत भूमि पर वादिनी के दावा को सम्पुष्ट किया जाता है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि वादिनी के भूमि पर विघ्न पैदा न करें तथा अंचलाधिकारी कु0 स्थान पुर्वी एवं थानाध्यक्ष को निर्देश दिया जाता है कि यदि वादिनी के भूमि पर कोई विघ्न पैदा किया जाता है तो प्रश्नगत भूमि पर वादिनी के अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक कारवाई करें।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

26.12.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

26.12.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल